FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...कोटा...

...

किस्म मुकदमा ...LR Act - 136... बनाम ...

...नं. ...72... सन् ...2025...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/8/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 8/8/25 को पेश हो।	
8/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम चडिन्दा के खाता संख्या 72 में नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 13.05.2025 विरासत द्वारा गोपी बाई पुत्र सत्यनारायण, बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण व शम्भूदयाल पुत्र सत्यनारायण का नाम दर्ज हुआ। जबकि नाबालिग बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण 1/10 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। सत्यनारायण के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम चडिन्दा के खाता संख्या 72 में विरासत द्वारा बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण व शम्भूदयाल पुत्र सत्यनारायण की डबल एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम चडिन्दा के खाता संख्या 72 में नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 13.05.2025 विरासत द्वारा गोपी बाई पुत्र सत्यनारायण, बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण व शम्भूदयाल पुत्र सत्यनारायण का नाम दर्ज हुआ। जबकि नाबालिग बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण 1/10 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। सत्यनारायण के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्यूटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम चडिन्दा के खाता संख्या 72 में बृजमोहन पुत्र सत्यनारायण व शम्भूदयाल पुत्र सत्यानारायण की दोहरी प्रविष्टि को एक एवं गोपी बाई पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर गोपी बाई पत्नि स्व. सत्यनारायण दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ...8/8/25... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	